



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरल कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963PLC003913

ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर :: जिला श्रीगंगानगर (राज.)

रजिस्टर्ड कार्यालय:- बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-110012

पत्रांक: के.रा.फा./जैत./13-21/उद्यान/2015-16/

दिनांक: 07.01.2016

अल्प कालीन निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) में स्थिरता क्रियाकल्पों के अन्तर्गत 15000 पौधा रोपण का कार्य फार्म के खण्ड एक, दो व तीन में करवाना है, जिसके लिए पौधे फार्म पौधशाला अथवा अन्यत्र पौधशाला, जहाँ उपलब्ध है, वहाँ से लाकर लगाने होंगे। उपलब्ध पौधों को लगाने के लिए इच्छुक ठेकेदार से सीलबन्ध निविदायें श्रीमान् निदेशक महोदय, केन्द्रीय राज्य फार्म - जैतसर, जिला श्रीगंगानगर(राज.) के नाम से दिनांक: 12.01.2016 को प्रातः 11.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन दोपहर के 12.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा में भाग लेने के लिए प्रत्येक खण्ड के लिए रुपये 4,000/- (रुपये चार हजार मात्र) का बैंक डिमान्ड-ड्राफ्ट जो कि नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला (IFSC कोड नम्बर SBIN0008251) पर देय हो, धरोहर राशि के रूप में निविदा के साथ जमा/संलग्न करना होगा। जिसे कार्य के संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर, बिना ब्याज के लौटा दिया जायेगा तथा असफल निविदादाता की राशि बैंक द्वारा लौटा दी जायेगी। निविदा संबंधी जानकारी तथा नियम एवम् शर्तें किसी भी कार्यदिवस में सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक ली जा सकती है व निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर भी देखी जा सकती है। निविदा प्रपत्र अखरे रुपये 100.00 नकद जमा कर व पहचान पत्र की फोटो प्रति जमा करवा कर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

नोट :- दिनांक 12.01.2016 को उचित दरे प्राप्त नहीं होने पर अन्य वैकल्पिक तिथि 15.01.2016 को पुनः निर्धारित समय तक निविदायें प्राप्त की जायेगी, जिसके लिए अलग से सूचना नहीं भेजी जायेगी।


प्रबन्धक (उत्पादन)
कृते निदेशक



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरातना कम्पनी)
NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

(CIN: U74899DL1963PLC003913)
(ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004)

केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर -335702 :: जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

मुख्यालय : बीज भवन, पुसा परिसर, नई -दिल्ली 110012

पत्रांक: के.रा.फा./जैत./13-4/उद्यान/2015-16/

दिनांक: 15.12.2016

फार्म में दीर्घकालिक योजना के अंतर्गत पौधे लगाने की नियम व शर्तें-

1. अल्पकालीन निविदा में भाग लेने से पूर्व कम से कम एक पहचान पत्र, जैसे चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, खेत का खसरा-खतोनी, पैन कार्ड आदि प्रस्तुत करना होगा जिससे ठेकेदार का नाम, पता आदि की सही जानकारी हो सके। यदि निविदा दाता या ठेकेदार कोई साझीदारी फर्म है तो उक्त कागजात साझेदारों से सम्बन्धित हों। यदि निविदा दाता या ठेकेदार कोई पंजीकृत प्रमाण-पत्र व निदेशक मण्डल के सदस्यगण की सूची व उक्त वर्णित कागजात में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
2. निविदा दाता को निविदा में भाग लेने हेतु धरोहर राशि खण्डवार निम्नानुसार होगी-

क्रम संख्या	खण्ड	पौधों की अनुमानित संख्या	धरोहर राशि (रुपये में)
1	एक	5000	4000/-
2	दो /ईपीओ	5000	4000/-
3	तीन	5000	4000/-

धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो कि "राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड", जैतसर के नाम से भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला (IFSC कोड नम्बर SBIN0008251), पर देय हो फार्म खजांची के पास जमा करानी होगी।

3. बिना धरोहर राशि के निविदादाता को निविदा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। असफल निविदा दाता की धरोहर राशि चेक द्वारा लौटा दी जावेगी एवं सफल निविदा दाता की धरोहर राशि कार्य संतोषजनक व पूर्ण होने पर लौटाई जावेगी तथा फार्म इस धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं देगा।
4. सफल निविदा दाता को फार्म के नाले-खाले, बट व माइनर के साथ 1x1x1 फीट के गड्ढे खोदकर, गड्ढों को भरकर पौधे लगाना, थाला बनाना कम से कम 5 लीटर पानी डालना व उनकी देख-रेख 3 माह तक करना, इन तीन माह के अंदर एक सप्ताह के अंतराल पर पानी देना व पौधों की देखभाल करने का कार्य करना होगा।
5. ठेकेदार को स्वयं सभी औजार जैसे- पौधे ढोने के लिए वाहन, कस्सी, टैंकर इत्यादि लाने होंगे, फार्म विशिष्ट संतति उद्यान से पौधे उपलब्ध करवायेगा, जिसे ठेकेदार अपने स्तर पर लोड कर रोपण के स्थान तक ले जायेगा। अन्यत्र पौधशाला से पौधे लाने पर फार्म केवल साधन उपलब्ध करवायेगा।
6. खण्ड में चक प्रभारी व हैड गार्ड की देख-रेख में यह कार्य करना होगा। कार्य आदेश मिलने के मार्च-2016 तक कार्य पूरा करना होगा। बिल का भुगतान चक प्रभारी द्वारा पौधों की गिनती करके भुगतान किया जावेगा, जिसके लिए पैन कार्ड होना अनिवार्य है। ठेकेदार श्रमिकों का भुगतान स्वयं करेगा। कार्य करते समय अगर कोई जान-माल की हानि होती है तो ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।

7. ठेकेदार व उसके श्रमिक कार्य करते समय फार्म की सम्पत्ति कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अगर ऐसा होता है तो इसकी भरपाई ठेकेदार से कर ली जावेगी।
8. फार्म निदेशक को निविदा निरस्त या स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।
9. अगर कोई ठेकेदार कार्य को बीच में अधूरा छोड़कर जाता है तो इस कार्य को द्वितीय ठेकेदार से करवा लिया जावेगा। अगर इस पर फार्म को कोई क्षति होती है तो इसकी भरपाई प्रथम ठेकेदार से कर ली जावेगी। कार्य आदेश मिलने से पौधे लगाने का कार्य मार्च-2016 तक पूर्ण करना होगा।
10. ठेकेदार को रुपये 100/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा जो ठेकेदार स्वयं खरीद कर लाएगा। यह स्वीकृति आदेश मिलने के 7 दिन के अंदर अनुबंध करना होगा, तदोपरांत कार्य आदेश जारी किया जायेगा।
11. दीमक का प्रकोप होने पर फार्म द्वारा प्रदान किये जाने वाले रसायन को पौधों में देने का कार्य ठेकेदार द्वारा ही किया जायेगा, जिसका अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा।
12. ठेकेदार को पौधे लगाने व एक बार पानी डालने का कार्य पूर्ण व संतोषजनक करने पर बिल का भुगतान प्रति पौधे के हिसाब से जो भी दर होगी उसका 20 प्रतिशत भुगतान कर दिया जायेगा एवं शेष 80 प्रतिशत राशि का भुगतान पौधे लगने 3 माह बाद 80 प्रतिशत जीवित पौधे होने पर कर दिया जायेगा। अगर जीवित पौधों की संख्या 80 प्रतिशत से कम होती है तो ठेकेदार से उसी के अनुपात में पौधे की कीमत व लगाई की कीमत की भरपाई अंतिम बिल से कर ली जाए
13. यदि उपरोक्त अनुबंध/ करार के किसी उपबंध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दशा में प्रकरण निगम के अध्यक्ष-सह-निदेशक को संदर्भित किया जाएगा, जिनको यह अधिकार होगा कि वह स्वयं अथवा अपने द्वारा नामित एकल विवेचक (सोल आर्बिट्रेटर) के द्वारा विवाद का निपटॉन आर्बिट्रेशन एण्ड कानसिलिएशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत कराए/ पक्षकारान पर यह बाध्यकारी होगा कि उक्त दशा में न्यायालय जाने से पहले आर्बिट्रेशन द्वारा अपने विवादों का समाधान करें।


प्रबंधक(उत्पादन)
कृते निदेशक